इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट–15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122002
शाखा कार्यालय : डीएसएस–266, प्रथम तल, सेक्टर–20, हुडा कैथल, हरियाणा –136027, प्रथम तल, एससीओ 15, अम्बाला रोड, जीरकपुर–140603

सार्वजनिक सूचना - अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए नीलामी

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(ङ) के तहत]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन (आईएसएफसी) (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक अचल सम्पत्ति/यों की बिक्री हेतु सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह–कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) अथवा उनके कानूनी वारिस/सों प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति/यां, जिनका कब्जा आईएसएफसी (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदारों, सह–कर्जदारों अथवा गारंटरों से बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 24–04–2026 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएंगी। सुरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा नीचे वर्णित की गई है। सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी राशि युक्त सीलबंद लिफाफा आईएफएससी के प्राधिकृत अधिकारी के पास 23–04–2026 को अथवा पूर्व अप. 5 बजे तक, ईएमडी/भुगतान डीडी/चैक/आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा होगा, शाखा/कार्पोरेट कार्यालय : डीएसएस–266, प्रथम तल, सेक्टर–20, हुडा कैथल, हरियाणा –136027, प्रथम तल, एससीओ 15, अम्बाला रोड, जीरकपुर–140603 में जमा करना होगा।

ऋण खाता सं. तथा कर्जदार(रों)/ सह– कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) /कानूनी वारिस(सों)/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	मांग सूचना की तिथि तिथि तक बकाया राशि	कब्जा का प्रकार (प्रलक्षित/ भौतिक के तहत)	सुरक्षित मूल्य धरोहर राशि
LAKTVLLONS000005133375/AP-10307396 श्री/श्रीमती सुमन पत्नी प्रेम, श्री/श्रीमती प्रेम पुत्र टीका सिंह, श्री/श्रीमती गोल्डी राणा पुत्र टीका सिंह, गोल्डी डेरी फार्म सी/ओ गोल्डी राणा	11–09–2025 रु. 11,35,209/– (रू. ग्यारह लाख पैंतीस हजार दो सौ नौ मात्र)	सांकेतिक कब्जा	रू. 12,00,000/– रू. 1,20,000/–
सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय प्लॉट/भूमि परिमाप 9.03 मरले (272 वर्ग गज), अर्थात : भूमि परिमाप 6.66 मरले (201 वर्ग गज) यानि कुल भूमि 1 कनाल 0 मरले में से 3/9 हिस्सा गैर मुमकिन, खसरा संख्या 291/2 (1–0) खेवट और खाता संख्या 102/119 तथा भूमि परिमाप 0.6 मरले (18 वर्ग गज) अर्थात : खेवट और खाता संख्या 24/32 के अंदर कुल भूमि 6 मरले में से 1/10 हिस्सा, भूमि खसरा संख्या 45//16/9 (0–8) गैर मुमकिन के अंदर तथा भूमि परिमाप 1.780 मरले (54 वर्ग गज) अर्थात कुल भूमि 18 मरले गैर मुमकिन में से 54/544 हिस्सा, खसरा संख्या 182 (0–9) और 261 (0–9), खेवट और खाता नंबर 359/418, वर्ष 2022–23 की जमाबंदी के अनुसार, जो ग्राम सुदकैन खुर्द, तहसील उचाना और जिला जींद की राजस्व सम्पदा के अंदर स्थित है। सीमा :– पूरब में सरदार का मकान, पश्चिम में रामचंदर का मकान उत्तर में बलवान बेटे मोलू का प्लॉट, दक्षिण में गली			
LA11VLLONS000005081160/AP-10196023 श्रीमती सुमन देवी पत्नी गुरनाम सिंह, श्री गुरनाम सिंह पुत्र बनारसी दास, गुरनाम डेरी फार्म सी/ओ गुरनाम सिंह	11–नवंबर–2025 रु. 13,28,024/– (केवल तेरह लाख अट्ठाईस हजार चौबीस रुपये)	सांकेतिक कब्जा	रू. 12,00,000/– रू. 1,20,000/–
सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : जनाबंदी वर्ष 2018–19, खेवट संख्या–372, खतौनी संख्या–404, खसरा नंबर–18//24/4, 29//3/2, 4/1, 7/1, 8 किते 5 तादादी 26 कनाल 09 मरले के 196/4761 भाग बाकदर 1 कनाल 01 मरले 07 सरसाई वाका मौजा मुकुंदपुर हदबस्त नंबर–271, उप–तहसील शहजादपुर, तहसील–नारायणगढ़ जिला अम्बाला, हरियाणा, सीमा उत्तर: का घर बनारसी दास, दक्षिण: राजपाल का घर, पूर्व: सड़क, पश्चिम: बनारसी का रकबा			

नियम और शर्तें : 1) निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र तथा बिक्री के नियम और शर्तें शाखा कार्यालय : डीएसएस–266, प्रथम तल, सेक्टर–20, हुडा कैथल, हरियाणा –136027, प्रथम तल, एससीओ 15, अम्बाला रोड, जीरकपुर–140603 से प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। 2) अचल सम्पत्ति सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। 3) उपरोक्त सम्पत्ति/यों के क्रय हेतु प्रस्तुत सभी बोलियों/निविदाओं के साथ उपरिवर्णित अनुसार धरोहर राशि संलग्न करनी होगी। ईएमडी राशि "इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड" के पक्ष में होनी चाहिए। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि, नीलामी के बाद, वापस की जाएगी। 4) उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा परंतु शर्त यह है कि वह बोली देने हेतु कानूनी रूप से योग्य होना चाहिए और कि बोली राशि सुरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी को उच्चतम बोली अस्वीकार करने का विवेकाधिकार होगा, यदि प्रस्तावित राशि उसको स्वीकार करने हेतु अपर्याप्त प्रतीत होती है। 5) भविष्यलक्षी बोलीदाता भेंट का समय पूर्व निर्धारित कर सम्पत्ति का निरीक्षण 22–04–2026 को पूर्वा. 11.00 बजे तथा अप. 5.00 बजे के बीच कर सकते हैं। 6) सफल बोलीदाता घोषित किए जाने वाले व्यक्ति को, घोषणा के तत्काल पश्चात, क्रय राशि/उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत राशि, जिसमें ईएमडी राशि सम्मिलित होगी, प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के भीतर जमा करनी होगी और इसके जमा करने में चूक करने पर सम्पत्ति नई नीलामी/प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाएगी। 7) उपरोक्तानुसार आरंभिक राशि जमा करने के बाद, क्रय राशि की शेष राशि, क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सम्पत्ति की बिक्री पुष्टि की तिथि से, उस दिन को छोड़कर, 15वें दिन को अथवा पूर्व, या 15वां दिन रविवार या अवकाश दिवस होने की स्थिति में 15वें दिन के बाद पहले कार्यदिवस को अदा करनी होगी। 8) उपरिवर्णित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति नई नीलामी/प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाएगी। जमा की जा चुकी राशि ईएमडी सहित इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति के संबंध में चूककर्ता क्रेता के सभी दावे समाप्त माने जाएंगे। 9) उपरोक्त बिक्री आईएसएफसी द्वारा अंतिम स्वीकृति के अधीन होगी, इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि सांविधिक और अन्य बकाया जैसेकि बिक्री/सम्पत्ति कर, बिजली बकाया तथा सोसायटी बकाया की जांच/पुष्टि संबंधित विभागों/कार्यालयों से कर लें। कम्पनी सम्पत्ति पर किसी बकाया के भुगतान की जिम्मेदारी नहीं लेगी। 10) 1 प्रतिशत टीडीएस, यदि कोई, उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम घोषित बोली राशि पर देय होगा। उच्चतम बोलीदाता को भुगतान कम्पनी के पैन में करना होगा तथा चालान की प्रति कम्पनी में प्रस्तुत करनी होगी। 11) बिक्री पूर्णतया इस विज्ञापन में और निर्धारित निविदा प्रपत्र में समाविष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 12) सफल बोलीदाता/क्रेता को बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत करवाने के लिए कानून के अनुसार लागू सभी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अनुषंगी खर्चे वहन करने होंगे। 13) प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए निविदा प्रास्थगित/स्थगित/निरस्त करने और बिना कोई पूर्व सूचना दिए इस बिक्री के नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। 14) इच्छुक बोलीदाता श्री सुधीर तोमर से मोबाइल नंबर +91 – 98184 60101 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को 30 दिन का बिक्री नोटिस

एतद्द्वारा उपरिवर्णित कर्जदार/बंधकदाता/गारंटरों को सूचना दी जाती है कि वे धारा 13(2) के तहत मांग सूचना में वर्णितानुसार राशि उस पर अद्यतन ब्याज और खर्चों सहित, नीलामी की तिथि से पहले चुकता कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति नीलाम की जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई, आपसे ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

तिथि : 24–03–2026
स्थान : हरियाणा

वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लि. प्राधिकृत अधिकारी
श्री सुधीर तोमर मोबाइल नंबर +91 – 98184 60101

यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 1, वसंत आर्केड, तीसरी मंजिल, सेक्टर-बी पॉकेट-7, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070, **सीआईएन:** L63040DL2005PLC463461, **वेबसाइट:** www.yatra.com, **ईमेल आईडी:** Investors@yatra.com **दूरभाष:** +91 124 4591700; +91 22 44357700

डाक मतपत्र की सूचना

सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों, साथ ही समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("प्रबंधन नियम"), भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी और समय-समय पर यथा विस्तारित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, और अंतिम बार विस्तारित सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025, और/या समय-समय पर जारी किए गए किसी अन्य परिपत्र (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में निर्दिष्ट), और यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 44, तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा आम सभा पर जारी सचिवीय मानक ("एसएस-2"), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य परिपत्र और किसी भी अन्य लागू कानून, नियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं और विनियमों (जिसमें समय-समय पर लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुन:अधिनियमन शामिल है) के अनुसरण में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 102 और 110 के तहत व्याख्यात्मक विवरण के साथ 16 मार्च, 2026 की डाक मतपत्र सूचना ("डाक मतपत्र सूचना") सोमवार, 23 मार्च 2026 को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी है, जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/हिताधिकारी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं और जिन्होंने एनएसडीएल के माध्यम से एक ईमेल द्वारा कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी")/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") यानी एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) के पास बुधवार, 18 मार्च, 2026 ("कट-ऑफ तिथि") तक अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है। इसके अलावा, एमसीए परिपत्रों के अनुसार, नोटिस की भौतिक प्रतियां, डाक मतपत्र प्रपत्र और पूर्व-प्रदत्त व्यावसायिक उत्तर लिफाफे भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल ई-वोटिंग के माध्यम से ही अपनी सहमति (पक्ष में) या असहमति (विपक्ष में) व्यक्त करें। कंपनी ने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए ई-वोटिंग की सुविधा हेतु एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया डाक मतपत्र सूचना की टिप्पणियों में दी गई है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री शशिकांत तिवारी, भागीदार (सदस्यता संख्या F11919) (सीपी संख्या 13050) और उनकी अनुपस्थिति में श्री लखन गुप्ता, पार्टनर (सदस्यता संख्या F12682) (सीपी संख्या 26704), चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी (FRN P1988DE002500) को डाक मतपत्र/ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक (स्क्रूटीनाइजर) नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग अवधि का विवरण इस प्रकार है:

विशेष संकल्प: कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक श्री ध्रुव श्रृंगी (DIN: 00334986) के पारिश्रमिक का अनुमोदन	
ई-वोटिंग की शुरुआत	बुधवार, 25 मार्च, 2026 को सुबह 9:00 बजे (भारतीय समयानुसार)
ई-वोटिंग की समाप्ति	गुरुवार, 23 अप्रैल, 2026 को शाम 5:00 बजे (भारतीय समयानुसार)
मतदान के लिए पात्रता की कट-ऑफ तारीख	बुधवार, 18 मार्च 2026

एनएसडीएल द्वारा गुरुवार, 23 अप्रैल, 2026 को शाम 5:00 बजे (भारतीय समयानुसार) के तुरंत बाद ई-वोटिंग सुविधा निष्क्रिय कर दी जाएगी और उसके बाद इसकी अनुमति नहीं होगी। किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा मतदान करने के बाद, उसे बाद में अपना मत बदलने की अनुमति नहीं होगी।

इस संबंध में, सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. जिन व्यक्तियों का नाम कट-ऑफ तारीख यानी बुधवार, 18 मार्च 2026 को डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए सदस्यों के रजिस्टर/हिताधिकारी शेयरधारकों की सूची में तक दर्ज है, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
2. सदस्यों के मतदान अधिकार इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि बुधवार, 18 मार्च 2026 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।
3. जिन सदस्यों की ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/डीपी के पास पहले से पंजीकृत हैं, वे डाक मतपत्र सूचना में दिए गए रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन कर सकते हैं।
4. कंपनी की संपूर्ण शेयरधारिता डिमटेरियलाइज्ड मोड में है। हालांकि, यदि सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी संचार प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है और/या अपने बैंक खाता विवरण और केवाईसी को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, तो कृपया अपने संबंधित डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।
5. सदस्य डाक मतपत्र सूचना में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करके रिमोट ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु www.evoting.nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

जो व्यक्ति 'कट-ऑफ तिथि' को सदस्य नहीं है, उसे डाक मतपत्र की सूचना केवल सूचना के उद्देश्य से ही समझनी चाहिए। डाक मतपत्र सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.yatra.com, स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) की वेबसाइटों क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com/ पर उपलब्ध है। जिन सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना प्राप्त नहीं होती है, वे इसे उपरोक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं।

स्क्रूटीनाइजर अपनी रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष ("अध्यक्ष") या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे, और परिणाम ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति के एक कार्य दिवस के भीतर, यानी शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 को शाम 5:00 बजे (भारतीय समयानुसार) या उससे पहले घोषित किया जाएगा।

डाले गए मतों की वैधता पर स्क्रूटीनाइजर का निर्णय अंतिम होगा।

स्क्रूटीनाइजर की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट www.yatra.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com/ पर प्रदर्शित किए जाएंगे और इनकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों और एनएसडीएल को दी जाएगी। परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय में भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

किसी भी प्रश्न के लिए, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं, जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध हैं या आप सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, तीसरी मंजिल, नमन चैंबर, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 051, भारत से ईमेल पते evoting@nsdl.com या टेलीफोन नंबर 022 4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
ज्योति चावला
कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 23 मार्च 2026
स्थान: गुरुग्राम

CONCEPT

संस्कृति मंत्रालय

समसामयिक अध्ययन केन्द्र
प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय
द्वारा आयोजित
सार्वजनिक व्याख्यान
इंडिया'ज रूरल प्रेडिकामेंट्स :
रिविजनिंग स्पेटियल फॉमेर्शंस एंड एग्रेरियन फ्यूचर्स
में
आप सादर आमंत्रित हैं।
वक्ता –प्रो. सुरिंदर सिंह जोधका
समाजशास्त्री एवं बुद्धिजीवी
दिनांक:–25 मार्च 2026, समय अपराह्न 3.00 बजे
स्थल :
संगोष्ठी कक्ष, पुस्तकालय भवन
प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय
तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली
सभी का स्वागत है।
आमंत्रण प्राप्त करने के लिए हमें ईमेल करें:
rajnishpmml@gmail.com
CBC 09142/12/0072/2526

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड
सीआईएन: L74899UP1995PLC043677
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 1ए, सेक्टर 16ए, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश
कॉरपोरेट कार्यालय: 15वां तल, टॉवर ई, स्क्वाइमार्क बन, प्लॉट नं. एच–10/ए, सैक्टर 98, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश
फोन: +91-120-6927500; +91-120-6935400
वैबसाइट: www.jubilantfoodworks.com, **ईमेल:** investor@jublfood.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुन: प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

सेबी के परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि निवेशकों को उनकी प्रतिभूतियों तक उचित पहुंच प्राप्त करने में और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए, भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण विलेखों को पुन: जमा करने के लिए एक और विशेष विंडो खोली गई है। **यह विंडो 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए** उन शेयरधारकों के लिए है जिन्होंने 1 अप्रैल, 2019 से पहले प्रतिभूतियां बेची/खरीदी थीं और जिनके हस्तांतरण विलेख 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्य किसी कारण से अस्वीकृत/वापिस कर दिए गए/जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था। शेयरधारकों को उपरोक्त परिपत्र में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज कंपनी के आरटीए, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), जिसका कार्यालय नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 2, एलएससी, सी–1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 में स्थित है, को जमा करने होंगे। हेल्पलाइन नंबर +91 11 49411000 पर संपर्क करें या https://web.in.mpms.mufg.com/helpdesk/service_Request.html/service_Request-html पर सेवा अनुरोध दर्ज करें या investor@jublfood.com/investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर ईमेल भेजें। इस प्रकार हस्तांतरित प्रतिभूतियां अनिवार्य रूप से केवल डीमैटेरियलाइज्ड मोड में ही क्रेडिट की जाएंगी और हस्तांतरण के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक–इन अवधि के अंतर्गत रहेंगी। उक्त लॉक–इन अवधि के दौरान ऐसी प्रतिभूतियों को हस्तांतरित/गिरवी नहीं रखा जा सकता है।

इस विंडो की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टता के लिए, नीचे दिए गए मैट्रिक्स का संदर्भ लिया जा सकता है:

स्थानांतरण विलेख की निष्पादन तिथि	01 अप्रैल, 2019 से पहले स्थानांतरण के लिए आवेदन किया?	मूल सुरक्षा प्रमाणपत्र उपलब्ध है?	वर्तमान विंडो में प्रवेश के लिए पात्र हैं?
01 अप्रैल 2019 से पहले	नहीं (यह नया आवेदन है)	हां	✓
01 अप्रैल 2019 से पहले	हाँ (इसे पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था/ वापस कर दिया गया था)	हां	✓
01 अप्रैल 2019 से पहले	हां	नहीं	✗
01 अप्रैल 2019 से पहले	नहीं	नहीं	✗

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित मामलों पर प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा:
- हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरिती के बीच विवादों से जुड़े मामले
- शेयर जो निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ("आईईपीएफ") में स्थानांतरित कर दिए गए हैं

नोट: सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए/डिपॉज़िटरी प्रतिभागियों के साथ अपना केवाईसी विवरण को अपडेट करें।

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
(मोना अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

दिनांक: 23.03.2026
स्थान: नोएडा

भारत गीयर्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय एवं वर्क्स: 20 कि.मी. मथुरा रोड, पो. ओ. अमर नगर, फरीदाबाद–121003 (हरियाणा) **दूरभाष:** +91 (129) 4288888
ई–मेल: info@bglindia.com **वैबसाइट:** www.bharatgears.com
सीआईएन: L29130HR1971PLC034365

सूचना

भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमैटरियलाइज़ेशन ("डीमैट") के लिए विशेष विंडो

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') के परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के साथ पठित सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसार हम आपको सूचित करते हैं कि 01 अप्रैल, 2019 से पहले बेचे/खरीदे गए भौतिक शेयरों के हस्तांतरण और डीमैटरियलाइज़ेशन ("डीमैट") को सुगम बनाने के लिए 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 ("विशेष विंडो अवधि") तक एक वर्ष की अवधि के लिए एक और विशेष विंडो खोली गई है। यह विशेष विंडो निम्नलिखित के लिए उपलब्ध होगी:

(i) ऐसे हस्ततारंण अनंरोधों की पुनः प्रस्तुति जो कि 01 अप्रैल, 2019 से पूर्व दायर किए गए थे तथा दस्तावेज़ों/प्रक्रिया/या किसी अन्य कारण की वजह से खारिज कर दिए गए थे/वापिस भेज दिए गए थे/जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था एवं;

(ii) 01 अप्रैल, 2019 से पहले प्रस्तुत नहीं किए गए हस्तांतरण अनुरोधों का नवीनतम प्रस्तुतिकरण, बशर्ते कि मूल शेयर प्रमाणपत्र उपलब्ध हों।

इस विशेष विंडो अवधि के दौरान हस्तांतरित किए गए शेयर अनिवार्य रूप से केवल डीमैट मोड में ही हस्तांतरिती के खाते में जमा किए जाएंगे और हस्तांतरण के पंज़ीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक–इन अवधि में रहेंगे। उक्त लॉक–इन अवधि के दौरान ऐसे शेयरों का हस्तांतरण/ग्रहणाधिकार अंकित/गिरवी रखना संभव नहीं होगा। ऐसे अनुरोधों के लिए उक्त परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, विशेष विंडो अवधि के दौरान निम्नलिखित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा:

(i) हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरिती के बीच विवाद से संबंधित मामले (जिनका निपटारा न्यायालय/एनसीएलटी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा),

(ii) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में हस्तांतरित किए गए शेयर, और

(iii) 01 अप्रैल, 2019 से पहले निष्पादित हस्तांतरण अनुरोधों का पुनः प्रस्तुतिकरण/नया प्रस्तुतिकरण, जहां मूल शेयर प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है।

पात्र निवेशकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सेबी परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ हस्तांतरण अनुरोध एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नामित लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) (एमआईआईपीएल), जो कंपनी का रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट (आरटीए) है, को नोबल हाइट्स, पहली मंज़िल, प्लॉट एनएच 2, सी–1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 में स्थित पते पर ई–मेल आईडी: investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर जमा करके इस अवसर का लाभ उठाएं।

संबंधित निवेशकों को इस विशेष विंडो का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कृते **भारत गीयर्स लिमिटेड**
हस्ता/–
प्रशान्त खत्री
कॉर्पोरेट प्रमुख (विधि) एवं कम्पनी सचिव

तिथि: 23 मार्च, 2026
स्थान: फरीदाबाद

रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 20 कि.मी. मथुरा रोड, पो.ओ. अमर नगर, फरीदाबाद–121003 (हरियाणा) **दूरभाष:** +91 (129) 4288888
ई–मेल: info@raunaqintl.com **वैबसाइट:** www.raunaqinternational.com
सीआईएन: L51909HR1965PLC034315

सूचना

भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमैटरियलाइज़ेशन ("डीमैट") के लिए विशेष विंडो

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') के परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के साथ पठित सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसार हम आपको सूचित करते हैं कि 01 अप्रैल, 2019 से पहले बेचे/खरीदे गए भौतिक शेयरों के हस्तांतरण और डीमैटरियलाइज़ेशन ("डीमैट") को सुगम बनाने के लिए 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 ("विशेष विंडो अवधि") तक एक वर्ष की अवधि के लिए एक और विशेष विंडो खोली गई है। यह विशेष विंडो निम्नलिखित के लिए उपलब्ध होगी:

(i) ऐसे हस्ततारंण अनंरोधों की पुनः प्रस्तुति जो कि 01 अप्रैल, 2019 से पूर्व दायर किए गए थे तथा दस्तावेज़ों/प्रक्रिया/या किसी अन्य कारण की वजह से खारिज कर दिए गए थे/वापिस भेज दिए गए थे/जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था एवं;

(ii) 01 अप्रैल, 2019 से पहले प्रस्तुत नहीं किए गए हस्तांतरण अनुरोधों का नवीनतम प्रस्तुतिकरण, बशर्ते कि मूल शेयर प्रमाणपत्र उपलब्ध हों।

इस विशेष विंडो अवधि के दौरान हस्तांतरित किए गए शेयर अनिवार्य रूप से केवल डीमैट मोड में ही हस्तांतरिती के खाते में जमा किए जाएंगे और हस्तांतरण के पंज़ीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक–इन अवधि में रहेंगे। उक्त लॉक–इन अवधि के दौरान ऐसे शेयरों का हस्तांतरण/ग्रहणाधिकार अंकित/गिरवी रखना संभव नहीं होगा। ऐसे अनुरोधों के लिए उक्त परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, विशेष विंडो अवधि के दौरान निम्नलिखित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा:

(i) हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरिती के बीच विवाद से संबंधित मामले (जिनका निपटारा न्यायालय/एनसीएलटी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा),

(ii) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में हस्तांतरित किए गए शेयर, और

(iii) 01 अप्रैल, 2019 से पहले निष्पादित हस्तांतरण अनुरोधों का पुनः प्रस्तुतिकर